



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि -682 036

संदर्भ : QC-STD/2/2019-QC

तारीख /दिनांक:25.05.2022

परिपत्र

विषय : चीन को भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में।

जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय से भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य की खेप की पैकेजिंग, उत्पाद और कंटेनर वॉल से कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड सामग्री के संसूचन के कारण भारतीय समुद्री खाद्य प्रतिष्ठानों को चीन के साथ समस्या हो रही है। जीएसीसी ने कहा है कि भले ही उन्हें अन्य देशों से कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड का संसूचन मिल रहा है, परंतु भारत से मिलने वाला अधिकतम संसूचन इस बात का संकेत है कि भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग और प्रसंस्करणकर्ता द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

19.05.2022 को आयोजित जीएसीसी और भारतीय अधिकारियों की बैठक के दौरान, जीएसीसी ने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए, जीएसीसी ने भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को निलंबित करने जैसे कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं और भारत में अधिकारियों से इस मुद्दे को दूर करने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, अध्यक्ष एमपीईडीए ने निर्देश दिया है कि समुद्री खाद्य निर्यातकों को निम्नलिखित उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाए।

1. जीएसीसी द्वारा निलंबित सभी यूनिटों को कोविड निवारक प्रोटोकॉल और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर नेटफिश और एमपीईडीए द्वारा आयोजित अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। चीन को निर्यात करने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली नई यूनिटें भी इसी तरह का प्रशिक्षण लेंगी।

2. चीन को भेजे जाने वाले सभी समुद्री खाद्य अंतिम उत्पाद पैकेज और कंटेनरों को परिपत्र संख्या QC- SI/GDLN/1/2020-QC दिनांक 27 सितंबर 2021 में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा।

(डॉ. एम. कार्तिकेयन)

प्रति:

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस ई ए आई
2. क्षेत्र प्र/ उ क्षेत्र प्र - आवश्यक कार्रवाई और निर्यातकों के बीच परिचालन के लिए
3. नेटफिश - सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।